



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 917]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2014/वैशाख 2, 1936

No. 917]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2014/VAISAKHA 2, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

का.आ. 1117(अ).—यतः मै. वेलस्पन अंजर एस. ई. जेड. लिमिटेड गुजरात राज्य का एक निजी संगठन, ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत गुजरात राज्य में कच्छ जिला के अंजर तालुका, वर्षा मेडी गाँव में वस्त्र एवं परिधान हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन स्थापित हेतु प्रस्ताव किया है ;

और, यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1559(अ) तहत 109.59.07 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित किया है ;

और यतः केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में दिनांक 12 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 662(अ) तहत दिनांक 17 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1559(अ) में संशोधन करके “वस्त्र एवं परिधान” से “इंजीनियरिंग” में परिवर्तित कर दिया ;

और, यतः मै. वेलस्पन अंजर एस. ई. जेड. लिमिटेड ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के 109.59.07 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त क्षेत्र को अनधिसूचित करने के लिए दिनांक 21 मार्च, 2013 को स्वीकृत पत्र प्रदान कर दिया है ;

और, यतः गुजरात सरकार ने अपने पत्र सं. आईसी/इन्फ्रा/एस.ई. जेड.-सेल/910101 दिनांक 4 फरवरी, 2014 के तहत इस प्रस्ताव को “अनापत्ति” प्रदान की है ;

और यतः विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 109.59.07 हेक्टेयर के समस्त क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है ;

अतः, इसलिए केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती हैं ।

[फा. सं. एफ. 2/131/2006-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2014

S.O. 1117(E).—Whereas, M/s. Welspun Anjar SEZ Limited, a private organization in the State of Gujarat, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Textile and Garment at village Varshamedi, Taluka Anjar, District Kutch in the State of Gujarat;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 109.59.07 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 1559(E) dated 17th September, 2007;

And, whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Act and in pursuance of Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government had amended the notification No. S.O. 1559(E) dated 17th September, 2007 by changing the sector from "Textiles & Garments" to "Engineering" vide Notification number S.O. 662(E) dated 12th March, 2009;

And, whereas, M/s. Welspun Anjar SEZ Limited has proposed to de-notify the entire area of 109.59.07 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de-notification of above area on 21st March, 2013;

And, whereas, the State Government of Gujarat has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. IC/Infra/SEZ-Ce11/910101 dated 4th February, 2014;

And whereas, the Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 109.59.07 hectares of the Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/131/2006-SEZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.